expenditure on subsidies for food, fertilisers, electricity, irrigation, credit and other agricultural inputs rather than investment in creating assets and relatively lower allocation for agriculture and allied activities.

(d) In order to encourage public investment in agriculture, a new Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) within the National Bank for Agriculture and Rural Development has been established. In the Union Budget for 1998-99, an additional allocation of Rs. 500 crore has been made for RIDF. A new scheme of Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) was initiated during 1996-97 with a provision of Rs. 900 crore for providing assistance to States by way of loans for timely completion of selected large and multi-purpose irrigation projects. The 1998-99 Union Budget proposes 57% increased allocation for AIBP over the previous year. An enhanced allocation for watershed development in rainfed areas would also result in higher investment.

राजस्थान में बागवानी का विकास

1678. **श्री ओंकार सिंह* लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान बागवानी के संवर्धन हेतु राजस्थान को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान बागवानी विकास के लिए राज्य को कितनी राशि दिए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) कृषि और सहकारिता विभाग, जिसमें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड शामिल हैं, ने राजसथान को 1997-98 के दौरान 492.0 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है ताकि बागवानी को बढ़ावा दिया जा सके।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान राजस्थान के लिए बागवानी के विकास हेतु कुल 684.52 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है।

कृषि उत्पादों का मूल्य

1679. **श्री ओंकार सिंह** लखावत: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने हेतु किसी बोर्ड/समिति का गठन किया है;

(ख) क्या इस बोर्ड/समिति में किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है; यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने संबंधी मानदंड क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) जी, हां। सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा उपभोक्ता को राहत प्रदान करने की आवश्यकता के संदर्भ में कृषि मूल्य नीति और मूल्य ढांचे के संबंध में सतत आधार पर सलाह देने के लिए जनवरी, 1965 में "कृषि मूल्य आयोग" नामक एक आयोग गठित किया था। सरकार ने दिनांक 18.3.1985 के संकल्प द्वारा इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया।

(ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग में प्रतिष्ठित किसान शामिल किए जाते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों के तीन पद हैं, जिन्हें तीन वर्षों के लिए अनुबंध आधार पर प्रतिष्ठित किसानों में से भरा जाता है। वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान कृषि लागत और मूल्य आयोग में निम्न गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई है:—

वर्ष	सदस्य (गैर-सरकारी)	अवधि
1	2	3
1995-96	1. श्री राजेन्द्र कुमार	28.7.94 से 29.3.96
	2. श्री वी०वी०आर० पार्थासारथी	19.9.94 से 19.9.97
	3. श्री जी० एस० बराड़	29.7.94 से 28.7.97